न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षेत्र)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–03, आगरा।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3720/2019
सी0एन0आर0 संख्या–यूपीएजी010124712019

समीर पुत्र अनवार निवासी–22/192 ढोलीखार, मंटोला, थाना मंटोला, जिला आगरा।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–55/2019
धारा : 147, 148, 149, 332, 353, 338, 307, 393, 427, 120बी, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 सी0एल0 एक्ट
थाना–मंटोला, जिला आगरा।

आदेश

दिनांक : 26.07.2019

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त समीर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–55/2019 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 332, 353, 338, 307, 393, 427, 120बी, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 सी0एल0 एक्ट, थाना मंटोला, जिला आगरा के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार अब्दुल गफ्फार शपथ पत्र से समर्थित है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा उपनिरीक्षक वीर सिंह यादव द्वारा थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 01.07.2019 को वह मय हमराहियान देख–रेख शान्ति व्यवस्था आदि में मामूर थे कि समय करीब 11:55 बजे मीरा हुसैनी चौराहे की ओर से सदरभट्टी चौराहे की ओर मुल्ला फहीम, जानू उर्फ ताहिर, चांद, फरदीन, मलिक अजीम अहमद खॉ, मुईन कुरैशी, समीर, अनवार कुरैशी, फुरकान, इमरान, आसिफ, आमिर, मुन्ना उर्फ सुहैल, राजा, मो0 आमिर, जाहिद, अनवर, बण्टू, फैजान, मुतसैव व 50–60 व्यक्ति आए और एक सुनियोजित षडयन्त्र के तहत एकराय होकर आते ही गाली गलौज करने लगे। सभी के हाथ में ईंट–पत्थर थे तथा चौराहे पर खुली हुई दुकानों को

जबरदस्ती बंर कराने लगे तथा दुकानों का सामान लूटने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया तो उत्तेजित होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से पथराव किया तथा आस–पास की दुकानों में तोड़ फोड़ की। यातायात अवरूद्ध हो गया, स्थिति अत्यधिक असामान्य हो गयी। सरकारी बैरीकेटिंग को तोड़ दिया गया, लोक व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो गयी। घटना से लोग भयभीत हो गए। इस संबंध में प्राथमिकी अंकित की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री वरूण मिश्रा एवं विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री वंशराज यादव को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को मामले में झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह निर्दोष है। प्रार्थी दिनांक 02.07.2019 से न्यायिक अभिरक्षा में है। वादी पक्ष के किसी व्यक्ति के कोई चोट आदि नहीं आयी है। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री वंशराज यादव द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर बलवा किया गया है तथा वादी व अन्य के साथ मारपीट, गाली गलौज तथा दुकानो का सामान लूटने का प्रयास किया गया है, पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से पथराव आदि किया गया है तथा सरकारी कार्य में व्यवधान किया गया है। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि मामले में घटना दिनांक 01.07.2019 की समय 11:55 बजे की है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने पर दिनांक 01.07.2019 को समय 13:15 बजे अंकित करायी गयी है। प्रार्थी पर बलवा, गली–गलौज, मारपीट व लूटपाट

का प्रयास करने, पुलिस पार्टी पर पथराव आदि का आरोप लगाया गया है। अभियोजन द्वारा तथाकथित घटना में किसी भी व्यक्ति के घायल न होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। किसी चुटैल की कोई चिकित्सीय आख्या भी पत्रालवी पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रार्थी लगभग 25 दिन से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से इस प्रकरण के अतिरिक्त प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त समीर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–55/2019 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 332, 353, 338, 307, 393, 427, 120बी, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 सी0एल0 एक्ट, थाना मंटोला, जिला आगरा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र, बिना गुण–दोष पर टिप्पणी किए, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा मु0. 75,000/– रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू, दाखिल करने पर, प्रार्थी/अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :

1. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना/विचारण के दौरान सहयोग करेगा।
2. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विवेचना/विचारण मामले के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा।
3. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित रहेगा तथा अनावश्यक स्थगन नहीं देगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लघंन की दशा में न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

(विवेक)
विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षेत्र)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–03,
आगरा।